न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–145/2012 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. मूलचन्द पुत्र श्री भौरया जाति ब्राह्मण निवासी नीमला तहसील राजगढ़ ।
2. कन्हैयालाल पुत्र श्री भौरया जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम नीमला तहसील राजगढ़ ।
3. मूलचन्द पुत्र माधो उर्फ मादा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम नीमला तहसील राजगढ़ ।
4. कन्हैया लाल, पुत्र माधो उर्फ़ मादा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम नीमला तहसील राजगढ़ ।
5. श्रवण पुत्र माधो उर्फ़ मादा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम नीमला तहसील राजगढ़ जिला अलवर ।

..... अपीलांटान

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश अलवर राज0 ।
2. तहसीलदार राजगढ़ अलवर ।
3. सरपंच ग्राम पंचायत नीमला तहसील राजगढ़ ।

..... असल रेस्पो0

4. हरिप्रसाद पुत्र स्व0 भगवान सहाय जाति ब्राह्मण निवासी नीमला ।
5. रामावतार पुत्र स्व0 भगवान सहाय जाति ब्राह्मण निवासी नीमला तहसील राजगढ़ जिला अलवर ।

..... तर0रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री अजीत कुमार यादव, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक असल रेस्पो0 सं0 1 व 2
3. रेस्पो0 सं0 3 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–30.08.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.09.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा इस्तकराहर हक व हुक्म ईम्तनाई दवामी इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित

आराजी ख0 नं0 साबिक 3 मिन रकबा 23 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम नीमला तहसील राजगढ़ में स्थित है । यह ख0 नं0 गत बन्दोबस्त सम्वत् 2020 के हैं । उक्त आराजी में से वादी सं0 1 ल0 3 के पिता व 4 ल0 7 के पिता व पति को 5 बीघा भूमि आवंटन कमेटी द्धारा वर्ष 1967 में आवंटन की थी तभी से उनका आराजी पर कब्जा काश्त रहा तथा दखल दिया गया । उनकी मृत्यु के बाद वादीगण का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है । यह कि बन्दोबस्त सम्वत् 2046 में हुआ और उक्त गत आराजी के हाल ख0 नं0 16 रकबा 0.20, 17 रकबा 0.12, 18 रकबा 0.27, 19 रकबा 0.19, 20 रकबा 0.25, 21 रकबा 0.11, 22 रकबा 0.19, 23 रक़बा 0.17 है0 कायम किये गये हैं जिन पर वादीगण का गत के अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है । परन्तु बन्दोबस्त विभाग सम्वत् 2046 में जो गत आराजी 3 से हाल ख़0 नं0 20 रकबा 0.25, 23 रकबा 0.17 ऐयर कायम किये उन नम्बरान को छोड़ते हुए शेष आराजी के वादीगण को खातेदार दर्ज कर दिया और उक्त ख0सं0 20 व 23 को वादीगण की खातेदारी में दर्ज नहीं कर चारागाह दर्ज कर दिया जो गत के मुकाबले गलत इन्द्राज है जबकि उक्त आराजी भी गत के अनुसार वादीगण की खातेदारी में दर्ज होनी चाहिए । वादीगण का उक्त आराजी पर भी मौके पर कब्जा काश्त है । इस प्रकार गलत इन्द्राज की आड़ में प्रतिवादीगण वादीगण को आराजी से जबरन बेदखल करना चाहते हैं । यदि उनके द्धारा ऐसा किया गया तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी । इसलिए दावा डिक्री करते हुए प्रतिवादीगण को पाबन्द करने का निवेदन किया । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए दि0 26.09.2012 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 26.09.2012 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्धारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि गत आराजी ख0 नं0 3 मिन रकबा 23 बीघा 11 बिस्वा वाके नीमला में से 5 बीघा भूमि वादीगण के पिता भौरया को सन् 1967 में आवंटन की गई और बाद आवंटन दखल दिया गया जिस पर भी भौरया अपने जीवनकाल तक काबिज रहकर काश्त करता रहा जिनकी मृत्यु के बाद वादीगण / अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 बहैसियत वारिस काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं लेकिन बन्दोबस्त विभाग ने उक्त आवंटित भूमि के हाल ख0 नं0 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 व 23 वाके नीमला सही प्रकार कायम किये हैं लेकिन बन्दोबस्त कर्मचारियों ने ख0 नं0 20 व 23 को चारागाह दर्ज करके अहम कानूनी गलती की है जबकि बन्दोबस्त कर्मचारियों को किसी व्यक्ति की आवंटित खातेदारी की भूमि को चारागाह दर्ज करने का अधिकार नहीं है लेकिन कर्मचारियान बन्दोबस्त ने मौका व गत राजस्व रेकार्ड व नक्शा को नजरअंदाज करते हुए इस भूमि ख0 नं0 20 व 23 को चारगाह दर्ज कर दिया जिससे वादीगण के हकूक खातेदारी प्रभावित हो गये और गलत इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण /

रेस्पो0 वादीगण/अपीलांट को उक्त आराजी से जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा करना चाहते हैं । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है और अपील अपीलांट स्वीकार करने की इस्तदुआ की ।

जवाब बहस में राजकीय अभिभाषक असल रेस्पो0 का कथन है कि विवादित आराजी गत ख0सं0 3 मिन रकबा 5 बीघा के हाल ख0 नं0 16 रकबा 0.20, 17 रकबा 0.12, 18 रकबा 0.27, 19 रकबा 0.19, 21 रकबा 0.11, 22 रकबा 0.19, 330 रकबा 0.16 बने हैं जिनका कुल रकबा 1.24 है0 बनता है । उक्त रकबा के वादीगण खातेदार दर्ज रेकार्ड है । इस प्रकार गत के मुताबिक वादीगण वर्तमान में भी 5 बीघा आराजी अर्थात 1.24 है0 पर काबिज खातेदार है तो ख0सं0 20 रकबा 0.25 व 23 रकबा 0.17 जो रेकार्ड में चारागाह दर्ज है कि खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है । इसलिए तहत न्यायालय ने तनकीयात कायम करते हुए विधिसम्मंत आदेश दोनों पक्षों को सुनकर किया है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.09.2012 का अवलोकन किया ।

तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार तनकी सं0 1 का विवेचन किया गया है तथा तनकी सं0 1 के अनुसार वादीगण द्वारा इस संबंध में दस्तावेज प्रदर्श 1 ल0 11 जो प्रस्तुत किये गये है तथा वादीगण का वाद पत्र में मुख्य तर्क यह है कि गत आराजी ख0 सं0 3 मिन रकबा 5 बीघा वाके ग्राम नीमला उसे आवंटन हुई थी तथा दखल दिया था, कब्जा काश्त में उनके आवंटी पूर्वजों का था तथा अब उनका कब्जा है तथा गत आराजी से बनने वाले हाल ख0 नं0 16 रकबा 0.20, 17 रकबा 0.12, 18 रकबा 0.27, 19 रकबा 0.19, 21 रकबा 0.11, 22 रकबा 0.19 तो उनकी खातेदारी में दर्ज कर दिया परन्तु अन्य बनने वाला हाल ख0 सं0 20 रकबा 0.25, 23 रकबा 0.17 वाके ग्राम नीमला जो भी गत ख0 सं0 3 से ही बना है को गलत रूप से चारागाह दर्ज कर दिया जबकि उनकी खातेदारी में दर्ज होना चाहिए था जबकि पैराकार सरकार का जवाब व बहस में कथन रहा है कि वादीगण द्वारा गलत तथ्यों पर वाद प्रस्तुत किया है । वादीगण की जो गत ख0सं0 3 मिन से बनने वाले हाल ख0 सं0 16, 17, 18, 19, 21 व 22 जो खातेदारी में दर्ज होना दर्शाया है तथा मुताबिक रेकार्ड खातेदारी में दर्ज है के अलावा ख0सं0 330 रकबा 0.16 है0 वाके नीमला भी वादीगण की खातेदारी में दर्ज है तथा गत ख0 सं0 3 मिन से ही बना है । इस प्रकार वादीगण की गत के अनुसार 1.24 है0 खातेदारी में दर्ज हो गयी है तो ख0 सं0 20 व 23 से कोई वास्ता नहीं है । प्रस्तुत रेकार्ड के जमाबन्दी सम्वत् 2056–59 खाता सं0 232 में वादीगण के नाम ख0 सं0 16 रकबा 0.20, 17 रकबा 0.12, 18 रकबा 0.27, 19 रकबा 0.19, 21 रकबा 0.11, 22 रकबा 0.19, 330 रकबा 0.16 है0 वाके नीमला खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है जिसका रकबा 1.24 है0 है । जैसाकि वादीगण ने वादपत्र में ख0 सं0 330 रकबा 0.16 है0 का कोई उल्लेख नहीं किया है तथा इसका मिलान क्षेत्रफल भी प्रस्तुत नहीं किया है जबकि पैरोकार सरकार द्वारा हाल ख0 सं0 330 रकबा 0.16 है0 आराजी को भी गत ख0 सं0 3 मिन से बनना दर्शाया है । उक्त तथ्य की पुष्टि में तहत न्यायालय द्वारा आफिस कानूनगो से मिसल सम्वत् 2046 तलब कर निरीक्षण करने पर यह तथ्य पैरोकार सरकार का सही पाया गया कि हाल

आराजी ख0 सं0 330 रकबा 0.16 है0 गत ख0सं0 3 मिन से ही बना है जो वादीगण की खातेदारी में दर्ज है । इस प्रकार वादीगण गत के मुताबले गत ख0 सं0 3 मिन से बनने वाले हाल आराजी किता 7 रकबा 1.24 है0 के मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2056–59 खाता सं0 232 में खातेदार दर्ज है तो ख0 सं0 3 मिन जो कि एक बड़ा खसरा नम्बर था से बनने वाले अन्य आराजीयात की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा बन्दोबस्त सम्वत् 2046 द्वारा जो इन्द्राज किया है वह सही किया है तथा किसी प्रकार से वादीगण की खातेदारी को प्रभावित नहीं किया है । नक्शा हाल जो वादीगण ने प्रस्तुत किया है से भी वादीगण की जो रेकार्ड में खातेदारी नम्बरान दर्ज हैं कि पुष्टि होती है ।

तनकी सं0 2 में तहत न्यायालय ने तनकी सं0 1 के निर्णय व विवेचन से स्पष्ट किया है कि ख0सं0 20 रकबा 0.25 है0, 23 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम नीमला की वादीगण खातेदारी प्राप्त करनें के अधिकारी नहीं है तथा अन्य आराजी ख0 सं0 16, 17, 18, 19, 21 व 22 वादीगण की खातेदारी में दर्ज हैं जिसमें वह प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी साबित माना है परन्तु ख0सं0 20 व 23 जो कि चारागाह दर्ज है उनके लिए यह तनकी वादीगण/अपीलांट के पक्ष में साबित नहीं मानी है । इसलिए तहत न्यायालय ने दोनों तनकीयात कायम कर पूर्ण विवेचन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाते हैं और अपीलांट की अपील खारिज योग्य पायी जाती है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के निर्णय व डिक्री दि0 26.09.2012 यथावत रखी जाती है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/8/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर